

जिला



सत्यमेव जयते

गजट

झारखण्ड सरकार  
द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 43

रामगढ़ दिन : शनिवार  
दिनांक 22.08.2015

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी

प्रारम्भिक अधिसूचना

विषय सूची  
प्रारम्भिक अधिसूचना

पृष्ठ संख्या 01 से 04

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 571/भू0अ0,

रामगढ़, दिनांक 21.08.2015

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कडरू, थाना पतरातू, थाना सं0 72, अंचल पतरातू, जिला रामगढ़ में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना कोडरमा-राँची न्यू बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम कडरू, थाना पतरातू, थाना सं0 72, अंचल पतरातू, जिला रामगढ़ में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 21.65 एकड़ यानि 8.7651 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	680 अंश	रैयती	कृषि	0.70	जादो बेदिया वगै0	683	678	676	682
2	4	234 अंश	रैयती	कृषि	0.02	चिड़िया करमाली वगै0	222	241	233	234
3	5	659 अंश	रैयती	कृषि	0.10	कुशल बेदिया	664	836	836	658
4	7	655 अंश	रैयती	कृषि	0.80	गोपी बेदिया	662	654	661	615
5	7	681 अंश	रैयती	कृषि	0.22	गोपी बेदिया	683	680	680	683
6	7	682 अंश	रैयती	कृषि	0.10	गोपी बेदिया	683	680	680	612
7	7	683 अंश	रैयती	कृषि	0.70	गोपी बेदिया	685	682	694	602
8	8	670 अंश	रैयती	कृषि	0.12	लंगड़ा बेदिया	671	668	628	669
9	8	671 अंश	रैयती	कृषि	0.05	लंगड़ा बेदिया	672	670	672	689

10	8	672 अश	रैयती	कृषि	0.56	लंगड़ा बेदिया	672	671	677	662
11	8	678 अश	रैयती	कृषि	0.38	लंगड़ा बेदिया	680	673	674	679
12	9	228 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.14	अकला मुण्डा	226	220	227	225
13	9	557 अश	रैयती	कृषि	0.15	अकला मुण्डा	216	551	558	428
14	9	668 अश	रैयती	कृषि	0.01	अकला मुण्डा	670	665	667	669
15	9	669 अश	रैयती	कृषि	0.15	अकला मुण्डा	662	663	668	662
16	10	220 अश	रैयती	कृषि	0.06	चमन विरहोर	223	149	258	223
17	10	221 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.43	चमन विरहोर	222	233	220	221
18	10	222 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.57	चमन विरहोर	226	225	224	221
19	10	223 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.10	चमन विरहोर	227	221	222	219
20	12	578 अश	रैयती	कृषि	0.46	मधवा मुण्डा वगै०	699	588	579	571
21	12	664 अश	रैयती	कृषि	0.18	चमर महतो पिता भादो महतो	663	665	665	666
22	16	230 अश	रैयती	कृषि	0.01	दरवरीया बेदिया पिता लतु बेदिया, बुधवा बेदिया पिता बोधमा बेदिया	220	232	555	149
23	18	631 अश	रैयती	कृषि	1.82	दुबराज बेदिया पिता पगीहथ बेदिया, रामपर बेदिया पिता धनपत बेदिया	637	638	658	668
24	20	227 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.14	जीतु बेदिया पिता दिनु बेदिया, लेदु बेदिया	216	230	218	228
25	20	577 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.26	जीतु बेदिया पिता दिनु बेदिया, लेदु बेदिया	563	571	699	566
26	21	576 अश	रैयती	कृषि	0.88	बरका उर्फ बलकु बेदिया पिता धोबु बेदिया	577	510	578	568
27	21	653 अश	रैयती	कृषि	0.25	बरका उर्फ बलकु बेदिया पिता धोबु बेदिया	654	652	657	649
28	21	654 अश	रैयती	कृषि	0.03	बरका उर्फ बलकु बेदिया पिता धोबु बेदिया	618	652	655	649
29	21	688 अश	रैयती	कृषि	0.01	बरका उर्फ बलकु बेदिया पिता धोबु बेदिया	689	686	692	580
30	23	213 अश	रैयती	कृषि	0.50	वाहिदा बेदिया पिता बिरसाद बेदिया	562	212	214	96
31	24	233 अश	रैयती	कृषि	0.10	बिगु बेदिया पिता मगला बेदिया	222	242	234	232
32	27	214 अश	रैयती	कृषि	1.06	भुजा बेदिया पिता जितवाहन बेदिया	562	217	215	213

33	28	558 अंश	रैयती	कृषि	0.12	बुधु बेदिया पिता पिखजा बेदिया	262	556	560	557
34	32	660 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.73	भोला बेदिया पिता साधु बेदिया, लंगडा बेदिया पिता तोपा बेदिया, रंगलाल बेदिया	655	659	663	656
35	36	216 अंश	रैयती	कृषि	0.19	महादेव साव पिता लोकू साव पिता बजी साव	562	217	220	215
36	36	218 अंश	रैयती	कृषि	0.04	महादेव साव पिता लोकू साव पिता बजी साव	217	219	231	211
37	38	229 अंश	रैयती	कृषि	0.75	मिटकु ग्वाला पिता सहदेव ग्वाला, जीतरा ग्वाला पिता सुखना ग्वाला, अंदु ग्वाला	228	231	557	227
38	39	651 अंश	रैयती	कृषि	0.07	बुधला बेदिया पिता सोमरा बेदिया	648	658	652	658
39	39	563 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.28	बुधला बेदिया पिता सोमरा बेदिया	699	577	699	566
40	41	571 अंश	रैयती	कृषि	0.01	रामजीत बेदिया, तुली बेदिया पिता रीमो बेदिया	576	587	574	570
41	41	650 अंश	रैयती	कृषि	0.14	रामजीत बेदिया, तुली बेदिया पिता रीमो बेदिया	649	652	652	648
42	41	652 अंश	रैयती	कृषि	1.28	रामजीत बेदिया, तुली बेदिया पिता रीमो बेदिया	653	658	657	650
43	43	556 अंश	रैयती	कृषि	0.70	लछु बेदिया पिता बिगन बेदिया	558	554	566	223
44	43	575 अंश	रैयती	कृषि	0.42	लछु बेदिया पिता बिगन बेदिया	577	571	578	568
45	44	656 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.64	लेदु बेदिया पिता जीतु बेदिया	655	658	660	653
46	45	632 अंश	रैयती	कृषि	0.07	सतना बेदिया पिता गणेश बेदिया	633	631	637	638
47	45	637 अंश	रैयती	कृषि	0.04	सतना बेदिया पिता गणेश बेदिया	636	631	658	632
48	47	684 अंश	रैयती	कृषि	0.13	सुखलाल महतो पिता अनुप महतो	685	683	683	683
49	47	685 अंश	रैयती	कृषि	1.08	सुखलाल महतो पिता अनुप महतो	694	684	694	602
50	47	691 अंश	रैयती	कृषि	0.35	सुखलाल महतो पिता अनुप महतो	699	692	691	690
51	48	564 अंश	रैयती	कृषि	0.16	सोघना विरहोर पिता सोमरा विरहोर	561	577	563	565
52	48	565 अंश	रैयती	कृषि	0.07	सोघना विरहोर पिता सोमरा विरहोर	566	568	564	566
53	49	56 अंश	रैयती	कृषि	0.03	सोमरा बेदिया पिता सतन बेदिया	57	38	64	10

54	49	663 अंश	रैयती	कृषि	0.52	सोमरा बेदिया पिता सतन बेदिया	669	664	667	660
55	50	225 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.16	हनुमान करमाली पिता दुबराज करमाली, गोपाल करमाली पिता अनद करमाली	227	223	557	222
56	50	226 अंश	रैयती	कृषि	0.58	हनुमान करमाली पिता दुबराज करमाली, गोपाल करमाली पिता अनद करमाली				
57	50	217 अंश	रैयती	कृषि	0.10	हनुमान करमाली पिता दुबराज करमाली, गोपाल करमाली पिता अनद करमाली	216	218	228	212
58	47	692 अंश	रैयती	कृषि	1.85	खेचा महतो वगै०	691	685	695	688
59	47	693 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.08	खेचा महतो वगै०	692	695	692	692
<b>कुल रकबा</b>					<b>21.65</b>					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ और संबंधित राजस्व कर्मचारी पतरातू अंचल को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

ह०/—  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
रामगढ़।

ह०/—  
अपर समाहर्ता,  
रामगढ़।

ह०/—  
उपायुक्त,  
रामगढ़।